UPSI180005232021
न्यायालय Civil Judge Junior Division Mahmudabad, Sitapur
पीठासीन अधिकारी- (Sushri Akshita Singh), (उ०प्र० न्यायिक सेवा) - UP03730

मूलवाद सं० Civil Suit/94/2021
ShivPaltan and Others Vs. Dhaniram and Others

29-01-2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं। वास्ते निस्तारण वाद बिन्दु सं0 2, 3 नियत है।

वाद बिन्दु सं0 2 पर सुना, पत्रावली का अवलोकन किया।

निस्तारण वाद बिन्दु सं0 2–

यह वाद बिन्दु इस आशय का विरचित है कि **"क्या वाद अल्पमूल्यांकित है?"**

प्रतिवादीगण द्वारा यह कथन किया गया है कि वादीगण द्वारा वाद विषय का मूल्यांकन काफी कम किया गया है तथा वादीय स्थल पर मकान निर्मित है। जबकि वादीगण द्वारा कथन का विरोध करते हुए यह कथन किया गया है कि वादीय भूमि पर कृषि कार्य होता है तथा वाद विषय का मूल्यांकन आराजी निजाई पर दिये गये लगान के तीस गुना के अनुसार मु0 150.00 रूपया कायम किया गया है। प्रतिवादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा हेतु योजित किया गया है। न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 की धारा 7 (5) के अनुसार भूमि के कब्जे के विवाद में जहां भूमि सरकार को वार्षिक राजस्व देने वाली सकल सम्पदा निश्चित अंश है, वहां विषय वस्तु का मूल्य ऐसे संदाय राजस्व का तीस गुना मूल्य समझा जायेगा। परन्तु **उ0 प्र0 वाद मूल्यांकन नियम, 1942** के नियम 3 के अनुसार उस स्थिति में विषय वस्तु का मूल्य ऐसे संदाय राजस्व का **पचपन गुना** मूल्य समझा जायेगा। वादीगण द्वारा वाद–विषय का मूल्यांकन आराजी की वार्षिक लगानी रू 5.00/– रूपया के 30 गुना के अनुसार रू0 150.00/– किया गया है। ऐसी परिस्थिति में न्यायालय के मत में वादीगण द्वारा किया गया वाद–विषय का मूल्यांकन कम है। विवादित सम्पत्ति का मूल्यांकन रू0 275.00/– सुनिश्चित किया जाता है। तद्नुसार वाद बिन्दु सं0 3 का निस्तारण किया जाता है। वादीगण पारिणामिक संशोधन हेतु आवश्यक पैरवी अविलम्ब करे।

आदेश

पत्रावली वास्ते दाखिला अतिरिक्त कोर्टफीस/मुंसरिम आख्या एवं निस्तारण वाद बिन्दु सं0 3, 4 दि0 12.03.2024 को पेश हो। अन्तरिम निषेधाज्ञा अग्रिम नियत तिथि तक प्रभावी रहेगा।

सिविल जज जू0 डि0
महमूदाबाद, सीतापुर।
J.O. Code- UP3730

अजय/स्टेनो

Digitally signed by AKSHITA SINGH
Date: 2024.01.29 16:47:15 IST
Reason: Order
Location: Civil Judge J.D./J.M. Mahmudabad, Sitapur.